रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244061
CG-DL-E-02032023-244061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

सा.का.नि. 160(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005 को जहां तक उनका संबंध सहायक अधीक्षक, रोकड़िया, आंकड़े प्रविष्टि ऑपरेटर (श्रेणी क) और स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण श्रेणी) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के अधीन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय (व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय, समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. –**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक अधीक्षक	* 11 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 5 (रु. 29200-92300)।	अचयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक – अध्यक्ष ; 2. उप सचिव – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. रोकड़िया	* 04 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-5 (रू. 29200-92300)।	अचयन।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक – अध्यक्ष; 2. उप सचिव – सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आंकड़े प्रविष्टि ऑपरेटर (श्रेणी क)	* 09 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (रू. 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष

	सकता है।				तक की जा सकती है)। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। (जहां नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जानी हो, वहाँ आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य जिसमें गणित एक विषय के रूप में रहा हो। (ii) आंकड़े प्रविष्टि कार्य के लिए न्यूनतम 15000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति परीक्षण का अभिनिश्चय कंप्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। **टिप्पण:-** अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:-** पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक –अध्यक्ष ; 2. उप सचिव –सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन – सदस्य.	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)।	* 01 (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-2 (रू.19900-63200)।	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष

	किया जा सकता है।				तक की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लक्षद्वीप तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण:-**यदि सीधी भर्ती सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। (ii) मोटर कल-पुरजे का ज्ञान (अभ्यर्थी यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ हो)। (iii) न्यूनतम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव। (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय**:- होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण:-** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क कार्यालय में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और वेतन बैंड रू. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 में से जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए सक्षता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हों, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय में नियमित आधार पर सवार हरकारा कप पद धारण करने वाले पदधारियों में से या वेतन बैंड रू. 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हों। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडरवाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक –अध्यक्ष ; 2. उप सचिव –सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी-24023/1/2018-आईपीआर-I]

प्रदीप टोप्पो, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Trade Marks and Geographical Indications Registry Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the posts of Assistant Superintendent, Cashier, Data Entry Operator (Grade A) and Staff Car Driver, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Trade Marks Registry and Geographical Indications Office in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks under the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, namely:-

1. **Short title and commencement. –**

(1) These rules may be called the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (Trade Marks Registry and Geographical Indications Office, Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Superintendent.	* 11 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancy to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Upper Division Clerks in the Trade Marks and Geographical Indications Registry with five years' service in	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director - Chairman;	Not applicable.

the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Registrar of Trade Marks and Geographical Indications - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Cashier.	* 4 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300).	Non-selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Upper Division Clerks in the Trade Marks and Geographical Indications Registry with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director - Chairman; 2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Registrar of Trade Marks and Geographical Indications - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Data Entry Operator (Grade 'A').	* 9 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th standard pass in Science stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent. (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on Computer. **Note:-** Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.	By Direct recruitment. **Note:-**Vacancies caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director - Chairman; 2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Registrar of Trade Marks and Geographical Indications - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Ordinary grade).	* 1 (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands). **Note:-** If the direct recruitment is to be made by direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- (i) Possession of a valid driving license for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism (candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years. (iv) Pass in10th standard. **Desirable:-** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. Note:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
PROMOTION:- From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in pay band Rs.5200-20200 + Grade Pay 1800 in the office of the Controller General of Patens, Design and Trade Marks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employee in the Pay Band Rs.5200-20200 + Grade Pay 1800, in other Ministry of the Central Government who fulfill the necessary qualification as mentioned in the column (7) Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not Exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director - Chairman; 2. Deputy Secretary - Member; 3. Deputy Registrar of Trade Marks and Geographical Indications - Member.	Not applicable.

[F. No. P-24023/1/2018-IPR-I]

PRADEEP TOPPO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.02 21:39:23 +05'30'